दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.वा.(वाणि.) 869/2023

हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स एल.एल.पी. और अन्य ..... वादीगण

द्वारा: श्री वैभव वट्स, सुश्री आमना हसन और सुश्री अनुप्रिया श्याम, अधिवक्तागण

बनाम

हाउस ऑफ पैथोलॉजी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रतिवादी

द्वारा:

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

<u>आदेश (मौखिक)</u>
05.12.2023

<u>सि.वा. (वाणि.) 869/2023, अंतर.आ. 24216/2023 (सि.प्र.सं. का आदेश XXXIX नियम 1 और 2), अंतर.आ. 24217/2023 (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क), अंतर.आ. 24218/2023 (सि.प्र.सं. का आदेश XI नियम 1(4)), अंतर.आ. 24219/2023 (सि.प्र.सं. का आदेश XI नियम 4), अंतर.आ. 24220/2023 (छूट), अंतर.आ. 24221/2023 (तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए) और अंतर.आ. 24222/2023 (अग्रिम तामील से छूट)</u>

1. आरंभ में ही मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता, श्री वैभव वट्स से वर्तमान मामले में नोटिस की अग्रिम तामील से छूट मांगने के औचित्य के बारे

में पूछा। श्री वट्स, बहुत ही निष्पक्ष रूप से, तीन दिनों के बाद मामले को फिर से सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए, ताकि वह प्रतिवादी को आई.पी.डी. नियमावली के नियम 22 के अनुसार इस वाद और साथ के आवेदनों की सूचना की तामील करने की स्थिति में हो।

2. तदनुसार, प्रारंभिक सुनवाई के लिए 12 दिसंबर 2023 को पुनःसूचित करें।

3. हालाँकि, चूंकि यह एक आवर्ती मुद्दा है, इसलिए मैं इस मामले पर अपने विचार रखना उचित समझता हूँ। यह न्यायालय प्रत्येक मामले में यह पा रहा है कि प्रतिवादी को अग्रिम तामील नहीं दी जा रही है तथा अग्रिम तामील से छूट के लिए आवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कई मामलों में - जैसा कि इसमें है - आवेदन में लिया गया एकमात्र आधार यह है कि सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम राहत की मांग करने वाले आवेदन को प्रस्तुत किया गया है। यदि यह अग्रिम तामील से छूट देने को उचित ठहराने के लिए एकमात्र आधार होता, तो न्यायालय को प्रत्येक मामले में अग्रिम तामील से छूट देनी पड़ती, क्योंकि आदेश XXXIX के तहत अंतरिम राहत के लिए आवेदन अनिवार्य रूप से प्रत्येक आई.पी.डी. वाद के साथ दायर किए जाते हैं। इससे अग्रिम तामील करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

4. बौद्धिक संपदा कानून की सभी बारीकियों और पेचीदगियों से अच्छी तरह से परिचित समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद इस न्यायालय द्वारा आई.पी.डी. नियमावली का नियम 22 विरचित किया गया है, जो इस प्रकार है:

> **"22. अग्रिम प्रतिलिपि**
>
> आई.पी.डी. के समक्ष दायर किए गए सभी मामलों में, अग्रिम प्रति की तामील के लिए पते पर, और ईमेल द्वारा भी, कम से कम दो कार्य दिवस पहले, अधिवक्तागण/एजेंटों सहित प्रत्यर्थीगण को दी जाएगी, जिन्होंने आई.पी.ओ., या विचारण न्यायालय, या प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व किया हो। *इस प्रकार प्रदान की गई अग्रिम प्रति के साथ, सूचीबद्ध करने की संभावित तिथि सूचित की जाएगी।* अग्रिम प्रति तामील किए जाने पर, न्यायालय के समक्ष सुनवाई की पहली तारीख को पक्षकारगण/अधिवक्तागण/एजेंटों/प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। शीघ्र निपटान करने के लिए, यदि न्यायालय की राय में आगे किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है, और यदि तामील किए जाने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो सामान्य रूप से आगे कोई नोटिस जारी नहीं की जाएगी और मामले की सुनवाई और निपटान सूचीबद्ध करने के पहले दिन ही किया जा सकता है।
>
> बशर्ते कि, किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, और आवेदन पर, न्यायालय अग्रिम तामील से अभिमुक्त कर सकता है।"

5. नियम के आरंभिक शब्दों में लिखा है "अग्रिम प्रति की तामील पते पर दी जाएगी"। शब्द "करेगा" जब किसी क़ानून में प्रयोग किया जाता है, तो सामान्यतः उसके अनिवार्य चरित्र को दर्शाता है। अग्रिम तामील से अभिमुक्ति देना केवल परंतुक द्वारा परिकल्पित है, और किसी दिए गए मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों में लिया गया सचेत निर्णय होना चाहिए। इसे बुद्धिरहित रूप से नहीं प्रदान किया जा सकता है।

6. नियम 22 में व्याप्त जनहित स्पष्ट है। प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वस्थ होती है, और न्यायालय द्वारा पारित निर्विरोध आदेश में त्रुटि की संभावना बनी रहती है, क्योंकि न्यायालय केवल एक पक्षकार को सुनने के बाद ही आदेश पारित करता है। विवादित आदेश किसी भी पक्षकार के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता है और न्यायालय को तथ्यों या विधि की त्रुटियां करने से भी काफी हद तक रोकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी पक्षकार अधिकार के रूप में निर्विरोध आदेश की मांग नहीं कर सकता है।

7. आई.पी.डी. नियमावली के नियम 22 में वाद दायर करने से दो कार्य दिवस पहले प्रतिवादी को वाद के कागजातों की अग्रिम तामील की जानी आवश्यक है। इस तरह की प्राथमिक आवश्यकता का पालन करने के लिए आम तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि न्याय, समानता या लोक हित के व्यापक विचार न हों, जो निश्चित रूप से यह अपेक्षित करते हों कि विरोधी पक्षकार को यह जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा रहा है।

8. यह प्रमाणित करने का भार ऐसा असाधारण मामला विद्यमान है, स्पष्टतः वादी पर होगा। इस प्रकार, आई.पी.डी. नियमावली के नियम 22 के परंतुक के तहत अग्रिम तामील से छूट का मामला बनाने के लिए, वादी को

न्यायालय को यह दर्शाना होगा कि यदि नियम 22 के अनुसार प्रतिवादी को अग्रिम तामील की जाती है, तो अपूरणीय क्षति होगी।

9. ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिसमें ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए, व्यापार चिह्न उल्लंघन मामलों में, वादी यह आरोप लगा सकता है कि प्रतिवादी स्पष्ट उल्लंघनकर्ता है, और उसके स्टॉक में, बहुत अधिक मात्रा में उल्लंघनकारी सामान है, और इसलिए, उक्त सामान को जब्त करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है। ऐसे मामलों में, वैध रूप से यह अभिवाक किया जा सकता है कि यदि प्रतिवादी पर अग्रिम तामील करने का निर्देश दिया जाता है, तो प्रतिवादी उल्लंघन करने वाले सामान की पूरी मात्रा को बाजार में पहले ही भेज सकता है। एक अन्य मामला जिसमें, अनुमानतः, अग्रिम तामील करने से छूट उचित हो सकती है, एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादीगण पर वादी के पूर्व कर्मचारियों या सहयोगियों के रूप में, प्रतिवादी की गोपनीय सामग्री को गैरकानूनी साधनों के लिए उपयोग करने के इरादे से अवैध रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। जहाँ ऐसी सामग्री प्रतिवादीगण के तामीलकर्ता को निहित है, वहाँ यदि वादपत्र की अग्रिम तामील प्रतिवादीगण को देने का निर्देश दिया जाता है, तो प्रतिवादीगण द्वारा उक्त डेटा से समझौता करने या इसे पूरी तरह से मिटा देने का वास्तविक खतरा है। ऐसे मामलों में भी, इस न्यायालय को नियमित रूप से आवेदन मिलते हैं कि प्रतिवादीगण के तामीलकर्ता से संबंधित डेटा की प्रतियां प्राप्त करने के लिए स्थानीय आयुक्तों

की नियुक्ति की जाए, ताकि न्यायालय को वादपत्र दायर किए जाने पर यथास्थिति के बारे में पता हो और प्रतिवादी को इसे बदलने की अनुमति न हो। ऐसे मामलों में भी, अग्रिम तामील से छूट वैध रूप से मांगी जा सकती है, और दी भी जा सकती है।

10. अग्रिम तामील की आवश्यकता दूसरे पक्षकार को भी सुने की आवश्यकता अनुसार है। ऐसे मामलों में जो पूर्व उल्लिखित अपवाद या इसी तरह की श्रेणियों में नहीं आते हैं, प्रतिवादी को प्रतिकूल निषेधाज्ञा आदेश का सामना करने से पहले सुनवाई की मांग करने का अधिकार है।

11. हालाँकि, वर्तमान मामले में, वादी की एकमात्र शिकायत यह है कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न "हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स/एच.ओ.डी." का मालिक है, जिसके तहत वह नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। प्रतिवादी पर आरोप है कि वह "हाउस ऑफ पैथोलॉजी/एच.ओ.पी." का उपयोग करके एकसमान सेवाएं प्रदान करके वादी के पंजीकृत चिह्न का उल्लंघन कर रहा है। दोनों की ही प्रयोगशालाएँ चल रही हैं। यह स्पष्ट है कि, यदि वादी ने नियम 22 का पालन किया होता और प्रतिवादी को अग्रिम तामील की होती, तो कोई अपूरणीय हानि या क्षति नहीं होती। न ही वादी ने अग्रिम तामील न करके ऐसी क्षति से बचा है। इसलिए, मेरे विचार में, इस तरह के मामले में, प्रतिवादी पर लागू होने वाले आई.पी.डी. नियमावली के नियम 22 के अनुसार वादी द्वारा अग्रिम तामील की दो दिन की नोटिस के बिना वाद संस्थित करने का कोई औचित्य नहीं है।

12. श्री वट्स ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि प्रतिवादी को कानूनी नोटिस दिया गया था, जिससे उसे उल्लंघन के पहलू के बारे में सावधान किया गया था और प्रतिवादी अड़ियल था तथा अपने तौर-तरीकों को सुधारने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ही वादी न्यायालय में आया है।

13. इस न्यायालय की राय में, यह अग्रिम तामील करने से छूट मांगने का औचित्य नहीं हो सकता है। प्रतिवादी का आचरण चाहे कितना भी निंदनीय क्यों न हो, एकमात्र स्थिति जिसमें अग्रिम तामील करने से छूट मांगी जा सकती है, वह है जब वादी यह प्रदर्शित करता है कि यदि अग्रिम तामील की गई, तो अपूरणीय क्षति होगी।

14. प्रतिवादी का आचरण, या वाद संस्थित करने से पहले प्रतिवादी को कानूनी नोटिस जारी करना या उल्लंघन की सीमा या अन्यथा जो वादी समझता है कि हो रहा है, वे ऐसे विचार नहीं हो सकते हैं, जो वादी को वाद संस्थित करने से पहले प्रतिवादी को दो दिन की अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता के खिलाफ उन्मुक्ति प्रदान करते हैं।

15. यह आम जानकारी की बात है कि एक बार न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद, वे अक्सर महीनों तक जारी रहते हैं और प्रतिवादी को उन्हें रद्द करवाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। दूसरी ओर, यदि अग्रिम नोटिस तामील किया जाता है, तो सबसे बुरा जो हो सकता है

वो यह है कि प्रतिवादी को आदेश पारित होने से पहले मामले को लड़ने के लिए उपस्थित होने का अवसर मिलेगा।

16. जहां कोई अपूरणीय क्षति मौजूद नहीं दिखाई जा सकती है, उन मामलों में जहां आई.पी.डी. नियमावली के नियम 22 के अनुसार अग्रिम नोटिस दी जानी है, उक्त नियम के परंतुक को लागू करने का कोई मामला मौजूद नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय नियम को इस तरह से लागू नहीं कर सकता है कि नियम परंतुक बन जाए और परंतुक नियम बन जाए।

17. इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि *उन मामलों को छोड़कर जहां वादी यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि आई.पी.डी. नियमावली के नियम 22 द्वारा परिकल्पित अग्रिम तामील की आवश्यकता के अनुपालन के परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति होगा, या अपरिवर्तनीय रूप से यथास्थिति में परिवर्तन होगा, प्रतिवादी पर वाद के कागजातों की अग्रिम तालीम, जैसा कि उक्त नियम द्वारा विचार किया गया है, अनिवार्य है।*

18. यह कहने के बाद, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, श्री वट्स, बहुत निष्पक्ष रूप से, 12 दिसंबर 2023 को इस मामले को पुनः अधिसूचित करने के लिए सहमत हैं।

19. तदनुसार, प्रारंभिक सुनवाई के लिए 12 दिसंबर 2023 को पुनः अधिसूचित करें। इस बीच, वादी प्रतिवादी पर वाद की अग्रिम तामील कराए तथा उसका सबूत अभिलेख पर रखे।

न्या. सी. हरि शंकर

5 दिसंबर, 2023
आर.बी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*